महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के योगदान का मूल्यात्मक अध्ययन
(छ.ग. के राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

परिचय – महिलाएँ सृष्टि का अभूतपूर्व तोहफा एवं बहुमूल्य संसाधन है। महिला के बिना सृष्टि की कल्पना भी नगण्य है। महिला न हो तो सृष्टि का निर्माण सम्भव नही है इसलिए नारी को सशक्त व जागरूक बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश सशक्त बन सकता है। सशक्त समाज से ही देश सशक्त बन सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण है कि जहॉ–जहॉ भी स्त्रियों ने संघर्ष व सहकारी प्रयत्न से अपने आप को सबल बनाया है वहॉ समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

महिलाओं मे सशक्तिकरण का तात्पर्य है शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, स्वालम्बन का अधिकार, आदि मुद्दों को समाहित किया गया है। आज के इस परिवेश में इस बात पर अधिक बल देना है कि महिलाओं में उनकी स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे केवल महिलाओं का कल्याण नही बल्कि वे पूरे समाज के विकास की प्रवर्तक बन सके। महिलाएं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता, ज्ञान, आत्मविश्वास को जागृत नही करेंगी तब तक कोई बाध्य कारक उन्हें सशक्त नही कर सकता है। इस क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने उन्हें जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये इनके माध्यम से महिलाएं आन्तरिक बाह्य रूप से सशक्त बन सके। इसलिए एक वाक्य हमेशा कहा जाता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता'' – अर्थात् जहॉ नारी की पूजा होती है, वहां देवता बसते है। पूजा का अर्थ सम्मान से है, तात्पर्य यह है कि जहॉ नारी का सम्मान होता है, वहीं सुख एवं समृद्धि का वास होता है नारी को सम्मान देना हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की प्राचीन परम्परा रही है, सृष्टि के निर्माण से ही नारी सम्मानीय समझी जाती रही है हमारे धर्म ग्रन्थ में नारी को देवी कहा गया है।

सन 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ताकि महिलाएं सशक्त बनकर सशक्त समाज एवं राष्ट्र की स्थापना कर सके और अपने घर परिवार की समृद्धि में पुरूष के कदम से कदम मिलाकर चल सके। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा

जब महिलाएँ अपने आपको एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नही जा सकता, वह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है तभी महिला का विकास सार्थक रूप से संभव है और इसके लिए महिला एवं बाल विभाग ने इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किया है।

महिला की प्रगति पूरे घर–परिवार एवं समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है और महिलाओं के प्रति होते कई अत्याचारों, शोषण की समाप्ति एवं दुर्भावना की समाप्ति को लेकर महिला सशक्तिकरण की रूपरेखा सामने रखी गयी है। आर्थिक उदारीकरण से भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति व बेरोजगारी कम हुई है और इसके लिए महिला सशक्तिकरण एक व्यापक उपाय के रूप में सामने आया, ताकि महिलाएं ''अबला से सबला'' बन सकें।

वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण घोषित करने के साथ ही महिला शक्ति को बढ़ाने की दिशा में अनेक योजनाएँ एवं पुरस्कार आदि घोषित किये जा चुके है। ताकि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए और वे अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सके। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार सम्पन्न व उन्हें उस पर हो रहे शोषण के खिलाफ जागरूक कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शासन ने एक ऐसे विभाग का गठन किया जिसके माध्यम से महिलाओं का उत्थान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आत्मरक्षा, पोषण स्वास्थ्य, आजीविका, जागरूकता, आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए कार्यक्रमो को महिला एवं बाल विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं से लाभान्वित कर रहा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में सार्थक सिद्ध है। छ.ग. प्रदेश के राजनांदगांव जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से जारी है। जिससे अनेक बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, रोजगार, कन्यादान, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भर किया जा सके। इस कार्यक्रमों से महिलाओं की योग्यता व शक्ति को और सशक्त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

महिला सशक्तिकरण के वर्तमान स्वरूप में जब तक बालिकाओं के भविष्य का फैसला पुरूष वर्ग करते रहेंगे या स्त्री पुरूषों में असमानता पाए जाएगी। तब तक महिला सही अर्थो में सशक्त नही हो सकती। सत्तर का दशक महिलाओं के लिए संघर्ष का था, अस्सी का दशक महिला के लिए अवरोध का समय था एवं इसमें प्रतिष्ठा हासिल करने से वंचित रही, नब्बे का दशक महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति का समय था। समाज में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बाजार, राजनीति और अर्थव्यवस्था में धीरे–धीरे यह मान्यता स्थापित होने लगी महिलाओं की उपस्थिति को अनदेखा नही किया जा सकता। और इक्कीसवी सदी की शुरूआत में महिला आन्दोलन खुद को एक नये मोड़ पर खड़ा देख रहा है। इसका क्षेत्र हम आज महिला बाल विकास विभाग को दे सकते है क्योंकि इसके माध्यम से वैश्वीकरण व उदारीकरण ने स्त्री पुरूष संबंधों के समीकरण पर विशेष रूप से प्रभाव डाला है अब महिलाएं अपनी स्थिति, समस्या और अधिकार को लेकर समाज में अधिक मुखातिर हुई है।

समाज में आज भी कई जगहों पर अनगिनत कुरीतियां फैली हुई है। इन कुरीतियों में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्युभोज, विवाह पर अत्यधिक व्यय, नशाखोरी, पुत्र को प्राथमिकाता, भ्रूण हत्या, टोनही प्रताड़ना आदि है । इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी महिला व बाल विकास विभाग ने महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम व कई अधिनियम बनाये जिसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक व सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाओं की योग्यता व शक्ति को और सशक्त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

आज विश्व को हर देश में सभी जगह महिलाओं के समुचित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसी आधार पर 21वी सदी को महिलाओं की सदी कहकर विभूषित करने लगे है। अब महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता, आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरूष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही हैं इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आज कुछ प्रयास हर जगह और हर स्तर पर किये जा रहे है। इसमें कोई दो मत नही है कि स्वतंत्रता के बाद नारी की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए है तथा उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जहाँ संविधान में व्यवस्थ की गई है, वही समय–समय पर नियम और कानून भी बनाए गए है। तथा महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी कई प्रयास किये गये है जिससे उनका भविष्य व भारतीय नारी का सर गौरव से उँचा उठे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं राजनांदगांव जिले में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की गयी है प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई नये कार्यक्रमो, योजनाओ और नवाचारो को अपनाया गया है। इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है अब छत्तीसगढ़ की पहचान ऐसे प्रदेश के रूप में बनी है। जहॉ बेटियों को बोझ नही वरदान माना जाता है पहली बार प्रदेश के विभाग ने स्त्री जीवन के हर पड़ाव पर मददगार योजनाऍ बनायी है।

क्षेत्र में पहले से किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा :–

शुक्ला (डॉ) मंजु (2011) – लेखिका के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनका साक्षर होना आवश्यक है जिसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इसे प्रचारित–प्रसारित किया जाना चाहिये। सशक्तिकरण कोई ऐसी स्थिति या वस्तु नही जिसे उपर से थोपा जा सके। सशक्तिकरण स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है। जिसके लिए महिलाओं में चेतना जागृति आवश्यक है। कार्ल (1995) के अनुसार सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों है क्योंकि व्यक्तियो में समूह के माध्यम से ही जागृति आती है और उनमें स्वयं को संगठित कर क्षमताओं का विकास होता है।

सक्सेना वन्दना (2013)– इन्होने अपने लेख में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पतनशील उपभोक्तावादी संस्कृति, रूढियॉ, अंधविश्वासों, कुपरम्पराओं को रोका जाना चाहिए जो महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में बाधा हो और उनके सशक्तिकरण के मार्ग में रोडा हो। अगर पुरूष वर्ग संवेदनशीलता एवं संकल्प के साथ महिलाओं को सहयोग प्रदान करे तो महिलाएं खुद ब खुद सशक्त हो जाऍगी, तब शायद सशक्तिकरण वर्ष मनाना भी न पड़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुरूष महिलाओं को प्रतिद्वंद्वी नही सहयोगी समझे। इसके लिए विभाग ने महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम व दिन घोषित किया है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण सार्थक सिद्ध हो सके।

वियोगी (डॉ) कुसुम (2001) – कुसुम वियोगी ने दलित महिला कथाकारो की कहानियो में, श्रम से जुड़ी यौन समस्या, शिक्षा, जातिगत विसंगतियों परम्परागत ढर्रे के विरूद्ध आवाज तथा पुरूष के बराबर अधिकार पाने की ललक, बड़ी जीवन्तता से प्रकट हुई है हिन्दी क्षेत्र में पढ़ी–लिखी दलित महिलाएँ तो बहुत है परन्तु कैसी विडम्बना है कि सम्पर्क एवं सूत्रो के माध्यम से मात्र सात–आठ महिला कथाकार ही हिन्दी क्षेत्र के दलित समाज से उपलब्ध हो पाई और इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने नारी को संवैधानिक, सामाजिक, समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया जिससे वे सशक्त होकर सशक्त समाज व राष्ट्र का निर्माण कर सके।

मेनन रितु (2005) – मेनन ने स्पष्ट किया है कि कम से कम डेढ़ सौ वर्षो में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, भले ही उनकी उपस्थिति यदा–कदा प्रखर हुई, छिट–पुट उदाहरण हमारे सामने आए और उन्हें अपर्याप्त मान्यता ही मिली। पूछे जाने पर अधिकांश लोग स्वाधिनता आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी को याद करने लगेंगे। जैसे ब्रिटिश प्रशासन के विरूद्ध गॉधीजी के आन्दोलनों नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग आन्दोलनो में हजारो की संख्या में महिलाओं का सड़को पर उतरना पड़ा, और राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनना पड़ा।

कपूर (प्रो.) प्रोमिला (2012) – आजादी के परंतु बाद से ही भारत सरकार ने बालिका शिक्षा की दिशा में गम्भीर प्रसास शुरू कर दिए थे । इसी कारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न आयोगो और समितियों का भी गठन किया गया ताकि शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को समझा जा सके और फिर उनका निराकरण किया जा सकें । सरकार के इन प्रयासो के अच्छे परिणाम देखने को मिले और अब बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार अपेक्षा से काफी बढ़ गया है । लेकिन यह संतुष्ट हो कर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने का समय नही है । बालिका शिक्षा की दिशा में हमें अभी काफी कुछ करना है । जिसके लिए महिला बाल विकास विभाग सतत् रूप से कार्य कर रहा है।

उपाध्याय (डॉ.) आशा व शर्मा गुंजन (2013) – हालांकि राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे है, फिर भी इनमें दिनों दिन वृद्धि क्यों हो रही है ? समान अधिकार के बावजूद समाज इस भेदभाव व दमन को क्यों सह रहा है ? समस्या के सही समाधान के लिए अस्तित्व चेतना पृथक अस्तित्व चेतना तथा अधिकार चेतना के साथ कर्तव्य चेतना को भी मिलाकर चलना होगा, तभी एक संतुलित दृष्टि और व्यावहारिक समाधान खोजा जा सकता है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के कई कार्यक्रम संचालित हो रहे है जिससे ऐसा करना संभव हो पायेगा।

नटानी प्रकाश नारायण (2010) –लेखक ने अध्ययन किया और पाया कि वर्तमान में समय महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। उन्हे सभी प्रकार के आवश्यक व मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए जा रहे है। भारत के संविधान में उसके अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत सरकारी नौकरी में समान दर्जा, इसी प्रकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। इसी प्रकार संविधान के कई अनुच्छेद में महिलाओं के अधिकारों को समाहित किया गया है जिससे वे सशक्त हो सके।

कौशिक (प्रो.) आशा (2008) :– लेखक ने अध्ययन किया कि नारी अधिकारों के लिए वैधानिक प्रयासों की श्रृंखला में भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति (2000) एक उल्लेखनीय कदम है। भारत सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के उचित निराकरण के लिए एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था में स्थिति का आकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आवास, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति, बालिका प्रस्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। इस दिशा में महिला बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई है।

वैश्य (डॉ) शकुन्तला (2008) – इस लेख का उद्देश्य शहरों के साथ ही गांवों में भी महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना होगा, उन्हे संगठित होकर अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देनी होगी।महिलाओं को यह समझना भी आवश्यक है कि वे अपने बीच खाई को समाप्त करें। एक महिला दूसरी महिला को उत्पीड़न करने के बजाय उसे स्नेह दे तभी स्त्री सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता प्राप्त होगी। महिलाओं को संगठित करने में महिला बाल विकास कई योजनाएँ संचालित कर रहा है।

आर्य राजाराम व भंवर मुकामसिंह (2011)– इस अध्ययन में संसार भर की महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। इसका कारण यह है कि मानव समाज में महिलाओं की समस्या एक अहम सवाल है। मैक्सिकों में महिला वर्ष का आरम्भ करते हुए राष्ट्र संघ के महासचिव डॉ कुर्त वाल्दहाइना ने कहा था – ''महिलाओं के प्रति भेदभाव की नीति उतनी ही गंभीर समस्या है जितनी कि अनाज की कमी और बढ़ती हुई जनसंख्या की है। इसलिए विभाग ने कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

मिश्रा (डॉ) आर.के. (2011) – इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड, दहेज, प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनाये आज भी घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान युग में उत्पीड़न की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नही हुआ। यह घोर विडम्बना ही है कि इक्कीसवी सदी के लोकतंत्र में नाबालिग या बालिग अकेली महिला की अस्मत सुरक्षित नही है। इस ओर सरकार व समाज को कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने उचित योजनाए बनायी है जिससे उन्हे उत्पीड़न हिंसा जैसी बुराईयों से निकाला जा सके।

सिंह, सुधा (मार्च 2013) – एक महिला की जिन्दगी हर कदम पर नये–नये संघर्ष से रूबरू (दो–चार) होती है। एक लड़की के रूप में जन्म लेने पर उसे प्रारंभ से ही कई चुनौतियो के लिए तैयार करना चाहिए। जननी का रूप महिला को विशिष्ट बनाता है तो कई दायित्वों के निर्वाह की विशिष्टता भी उसी के हिस्से आती है। परिवार में संस्कारो की वाहिनी स्त्री ही होती है। आज जब आदर्शो और जीवन–मूल्यो का लगातार विघटन होता जा रहा है, जीवन बदतर होता जा रहा है। ऐसे में हमे महिलाओं के जीवन पर गहन आत्मावलोकन की आवश्यकता महसूस हो रही है।

पंत कविता (मार्च 2013) – सरकार ने कई योजनाएं व घोषणाएं की लेकिन देखना यह है कि क्या वे उतनी सरलता के साथ धरातल पर उतर सकी। इसके लिए महिलाओं और बच्चो के शिक्षा स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण एवं अन्य योजना कदापि बेहतर नही है। इन्हें और अच्छा बनाने की जरूरत है जिसके लिए शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की जो महिला सशक्तिकरण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है।

श्रीवास्तव, (डॉ.) मीनाक्षी (2012) – आज भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घरो से निकलकर रोजगार के क्षेत्र में कदम रख रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उच्च या मध्यम स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत मामूली है जबकि निम्न तथा असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। सशक्तिकरण से श्रमिक महिलाएं दूर है। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें भी मध्यम और उच्च स्तर पर कामयाब महिला बनाने का अथक प्रयास किया जिसका उदाहरण उनकी विभिन्न योजनाएं है। जिससे महिलाओं ने काफी उन्नति की है।

लता (डॉ.) मंजू (2009) :– लेखक के अनुसार आधुनिक समय में स्त्रियॉ घर की चाहरदिवारी को लॉघकर बाहर निकली है एवं अपने आपको सबल, शिक्षित एंव उन्नत जीवन जीने के लिए कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया है । हालॉकि अनुसूचित जाति की महिलाओं में यह चेतना अभी कुछ कम है । किंतु घर से बाहर कार्यक्षेत्र में प्रवेश होने के साथ–साथ उन पर होने वाले उत्पीड़न भी कुछ कम नही हुए है । बल्कि उत्पीड़न के स्वरूपों में बदलाव आया है । अब महिलाएॅ घर से बाहर भिन्न–भिन्न तरीको एवं भिन्न–भिन्न जगहों पर उत्पीड़ित होने लगी है । इस समस्या से निपटनें के लिए संविधान मे महिलाओ को कई अधिकार व कानून दिये जिससे महिलाओं को कार्यक्षेत्र में उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े।

सिंह हंसराज बिष्ट व कोठारी राकेश (मई 2013) :– लेखक ने अध्ययन किया और पाया कि कानून का पालन कराने वाली संस्थाएँ तथा हमारी न्यायिक प्रणाली को सक्षम एवं सशक्त बनाया जाए यह जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अमानवीय जुर्म करने वालों को जल्दी–जल्दी सजा दिलाने के लिए विशेष अदालतें कायम की जाए साथ ही, उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए, जो दूसरो को ऐसे अपराध करने से रोक सके और संभावित अपराधियों के मन मे डर पैदा करने में समर्थ हो ।

राजकुमार (मई 2013) :– इसके अनुसार अब वक्त बदलने का है, यही समय है, जब महिलाओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी चुनौती भरा होगा जिस तरह से रथ को चलाने के लिए दो पहियों को बराबर चलना पड़ता है उसी तरह से देश का सम्पूर्ण विकास तभी हो पाएगा जब हम नारी शक्ति का पूरा लाभ उठा पाएंगे उन्हे परिवार रिश्तेदारियों एवं अन्य की भी एक इंसान के नजरिए से देखना होगा जिससे एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार होगा जिससे नारी सम्मान व इज्जत से जीते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना शत्–प्रतिशत योगदान दे सकेगी तथा आजादी के वक्त संजोए स्वयं के आदर्शो के साथ जी पाएगी ।

यादव चन्द्रभान (2013) :– लेखक ने अध्ययन किया और पाया कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। कल तक घर में कैद रहने वाली महिलाएं आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही है। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर शहर से लेकर गांव तक अपनी साख कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनो तरह से विकास हो रहा है।

मोदी (डॉ.) के.एम. (जुलाई 2013) :– लेखक के अनुसार किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं समाज की अभिन्न अंग है अतः महिलाओं का विकास करके ही सार्वभौमिक विकास की कल्पना को साकार करना संभव है । पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए कहा है कि – ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।'' वर्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व विकास में उत्तरोत्तर सुधार दर्ज किया जा रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता बढ़ रही है।

कल्याणा प्रतिभा :– लेखक के अनुसार महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का समाज में अमूल्य स्थान है। भारत में कानून व्यवस्था सहित महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम भूमिका रही है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक बनाकर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश की जा रही है तथा एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छी शिक्षा से होता है। इसीलिए विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र से सम्बंधित कार्यक्रमों का संचालन किया है जिससे उनके शिक्षा का स्तर बढ़े व समाज में उन्हें सम्मान मिल सके।

<u>संदर्भ</u> :–

1. शुक्ला (डॉ.) मंजु (2011),महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण, भारत प्रकाशन लखनउ, पेंज नं. 8
2. सक्सेना वंदना (2013), महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन दिल्ली, पेंज नं. 179–180
3. वियोगी (डॉ.) कुसुम (2001), दलित महिला कथाकारो की चर्चित कहानियां, ललित प्रकाशन दिल्ली, पेंज नं. 10–11
4. मेनन रितु (2005), कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
5. कपूर (प्रो.) प्रोमिला (2012), स्त्री शिक्षा एक मुल्यांकन, हरि प्रकाशन दिल्ली, पेंज नं. 112
6. उपाध्याय (डॉ.) आशा व शर्मा गुंजन (2013), स्त्री, समय, समाज व शब्द, जनचेतना प्रकाशन इलाहाबाद, पेंज नं. 29
7. नटानी प्रकाश नारायण (2010), महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर, पेंज नं. 4
8. स्वामी (डॉ.) भगवती व किशोर (डॉ.) सविता (2008), महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे ?, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर, पेंज नं. 41,42 व 50
9. आर ए राजाराम व भवर मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, 21वीं सदी की महिलाएं दिशा व दशा, भोपाल मध्यप्रदेश, पेंज नं. 119
10. मिश्रा (डॉ.) आर के (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, भोपाल मध्यप्रदेश
11. सिंह सुधा (मार्च 2013), स्त्री अस्मिता और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन नई दिल्ली, पेंज नं. 12
12. पंत कविता (मार्च 2013), महिलाओं और बच्चों के कल्याण की घोषणाएं, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन नई दिल्ली, पेंज नं. 15
13. श्रीवास्तव (डॉ.) मीनाक्षी (2012), कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति, हरि प्रकाशन दिल्ली, पेंज नं. 21
14. लता (डॉ.) मंजु (2009), अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस दिल्ली, पेंज नं. 101–102
15. सिंह हंसराज बिष्ट व कोठारी राकेश (मई 2013), महिला हिंसा के विरूद्ध बढ़ता जन आंदोलन, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013, पेंज नं. 1661
16. राजकुमार (मई 2013), पुरूष प्रधान देश में नारी की दुर्गति, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013, पेंज नं. 1719
17. यादव चन्द्रभान (2013), महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्वयंसहायता समूह, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013, पेंज नं. 10
18. मोदी (डॉ.) के एम (2013), ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयंसहायता समूहो का योगदान, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013, पेंज नं. 13
19. कल्याणा प्रतिभा (2012), समाज में महिलाओं का स्थान, प्रतियोगिता दर्पण जून 2012

उद्देश्य :–

(1) अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों का महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) महिला बाल विकास विभाग की नीतियॉ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक रही है, का विशलेषण करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

(3) महिला बाल विकास विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुझाव देना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

(4) महिला बाल विकास विभाग महिलाओं के जागरूकता में किस हद तक सफल रहा का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध को प्रमुख उद्देश्य है।

(5) महिला बाल विकास विभाग की व्यावसायिक प्रशिक्षण व उनके रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है।

(6) महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री कन्या विवाह, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, किशोरी शक्ति योजना, आयुष्मति योजना, शक्तिस्वरूपा योजना, धनलक्ष्मी योजना, नारी निकेतन, स्वालंबन योजनाओं आदि का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

(7) महिलाओं का उनके लिए बने कानून, अधिकारो के प्रति महिला बाल विकास विभाग जागरूकता पैदा करने में कहॉ तक सफल रहा है का अध्ययन करना इस शोध प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है।

परिकल्पना :–

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।

(2) महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं से महिला की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और रोजगार के अवसर पैदा हुये है।

प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान –

प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान इस बात से लगाया जा सकता है कि महिला बाल विकास विभाग ने महिला का सशक्तिकरण कहॉ तक किया है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सभी क्षेत्र के विकास में महिला बाल विकास विभाग ने अपनी कई योजनाओ से महिलाओं को सशक्त बनाया है। इससे महिला के स्वास्थ्य में सुधार, निर्णय में भागीदारी, आर्थिक स्वालंबन, जागरूकता व चेतना आयी है। महिलाओ को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सके। इस पुरूष प्रधान समाज में महिलाओ को सामाजिक सुरक्षा व कामकाजी महिलाओ के हितो की रक्षा करने में विभाग का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तथा शिक्षा हेतु कई सरकारी प्रयास किये गये है जिससे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो सके।

विभाग की नीतियो से महिलाओ में जागरूकता आयी है तथा उन्हे अपने अधिकारो के लिए लड़ना सीखाया विभाग की विभिन्न योजनाए जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, नारी निकेतन, किशोरी शक्ति योजना आदि का महिलाओं में सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिलाओं में रोजगार के प्रति रूचि पैदाकर उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ना, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक विकास की बुनियाद रखनी सामाजिक असंतुलन के प्रति महिलाओं में जागृति लाना। विभाग ने मुख्यत उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर व आर्थिक आत्मनिर्भरता में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया जिससे महिलाऍ सशक्त बनकर सशक्त समाज का निर्माण कर सके। महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों से महिलाओ में सामाजिक कुरीतियो, रूढ़ीवादिता तथा कोष की समस्या में कमी आयी। आज विभाग महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करता है जिसे वे आर्थिक आत्मनिर्भर बन सके। महिला स्वसहायता समूह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियो, अशिक्षा, नशाखोरी, महिला उत्पीडन, दहेज उन्मूलन कन्या शिक्षा आदि के प्रति जन चेतना जागृत की है। टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य आदि में महिलाओं की रूची बढ़ी है। महिला बाल विकास विभाग की योजनाओ से महिला दोहरे दायित्व का निर्वहन कर रही है।

प्रस्तावित शोधप्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक संमको का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक संमको के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशनो, स्वास्थ्य गत संमको, रोजगार संमको, सांख्यिकीय पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त आंकड़ो को द्वितीयक संमको के रूप में उपयोग कर उनके सारणीयण, विशलेषण के आधार पर प्रतिशत, विकास दर, प्रवृतिमान जैसे सांख्यिकीय विधियो का उपयोग कर तथ्यो का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्रो का उपयोग कर निष्कर्षो को सार्थक ढ़ग से प्रस्तुत कर विषय वस्तु की प्रस्तुति दी जाएगी।

अध्ययन को अधिक सार्थकता प्रदान करने के लिए अध्ययन में जिले के दो विकासखण्ड राजनांदगांव और चौकी का चयन कर इन दोनो विकासखण्डों के दो–दो ग्राम पंचायतो का विकास के आधार पर चयन किया जाएगा। जिसमें विकसित व अविकसित पंचायतों को आधार मानकर संमको का प्रश्नावली व अनुसूची के माध्यम से एकत्रीकरण किया जाएगा। समंक इन दोनो ग्राम पंचायतो में महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची से हितग्राहियो को रेण्डम (प्रायिकता) के आधार पर चयनित कर समंक एकत्रित किये जाऐगें। विकसित विकासखण्ड उस विकासखण्ड को माना जाएगा जो शहर के नजदीक हो जहॉ विकास के आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो व अविकसित विकासखण्ड उसे माना जाएगा जो शहर से दूर हो, मुख्य मार्ग से दूर हो तथा जहॉ विकास के आधुनिकतम संसाधन की पहुॅच न हो। इस तरह दोनो विकासखण्ड से दो–दो ग्राम पंचायत विकसित व अविकसित के समंक एकत्रित कर समंको का वर्गीकरण, सारणीयण व विशलेषण कर गणितीय, सांख्यिकीय विधियो का उपयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किये जाऐंगे, ताकि अध्ययन की सार्थकता बनी रहे।

<u>प्रस्तावित कार्य का अपेक्षित (प्रत्याशित) परिणाम</u> –

(1) इस अध्ययन का प्रस्तावित परिणाम यह होगा कि इससे विभाग की आर्थिक नीतियो का मूल्यांकन संभव हो पायेगा।

(2) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियों के निर्माण में सहयोगी होगा।

(3) अध्ययन द्वारा आवश्यक सुझाव दिये जाऐंगे जिससे आने वाले शोधार्थी को मदद मिलेगी।

(4) नये शोधार्थियो को शोध कार्य में मदद मिलेगी।

(5) विभाग के प्रयासो का पता लगाया जा सकेगा कि वे कहॉ तक सफल हुये है।

(6) भविष्य में शोध के लिए महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनैतिक, सांस्कृतिक जानकारी का मूल्यांकन संभव हो पायेगा।

<u>शोध कार्य की रूपरेखा</u>

अध्याय 1

1.1 प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण का अर्थ

1.2 उद्देश्य

1.3 परिकल्पना

1.4 विषय का महत्व

1.5 शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1.6 अध्ययन का क्षेत्र

1.7 शोध प्रविधि

1.8 अध्ययन की सीमाएं

अध्याय 2 – अध्ययन क्षेत्र की स्थिति

2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.2 भौगोलिक स्थिति

2.3 भूमिका, उपयोग

2.4 जनसंख्या

2.5 उद्योग एवं व्यवसाय

2.6 रोजगार की स्थिति

2.7 सामाजिक स्थिति

अध्याय 3

महिला बाल विकास विभाग एवं उनकी योजनाएं : आर्थिक सुदृढ़ीकरण

अध्याय 4

महिला बाल विकास विभाग एवं उनकी योजनाएं : सामाजिक सुदृढ़ीकरण

अध्याय 5

अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय स्थिति

अध्याय 6

अध्ययन क्षेत्र में संचालित योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

अध्याय 7

समस्या, निष्कर्ष एवं सुझाव

परिशिष्ट

प्रश्नावली

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें :–

1. शुक्ला (डॉ.) मंजु (2011), महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण, भारत प्रकाशन लखनउ
2. सक्सेना वंदना (2013), महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन दिल्ली
3. वियोगी (डॉ.) कुसुम (2001), दलित महिला कथाकारो की चर्चित कहानियां, ललित प्रकाशन दिल्ली
4. मेनन रितु (2005), कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
5. कपूर (प्रो.) प्रोमिला (2012), स्त्री शिक्षा एक मुल्यांकन, हरि प्रकाशन दिल्ली
6. उपाध्याय (डॉ.) आशा व शर्मा गुंजन (2013), स्त्री, समय, समाज व शब्द, जनचेतना प्रकाशन इलाहाबाद
7. नटानी प्रकाश नारायण (2010), महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर
8. स्वामी (डॉ.) भगवती व किशोर (डॉ.) सविता (2008), महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे ?, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर
9. आर ए राजाराम व भवर मुकामसिंह (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, 21वीं सदी की महिलाएं दिशा व दशा, भोपाल मध्यप्रदेश
10. मिश्रा (डॉ.) आर के (2011), राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, भोपाल मध्यप्रदेश
11. सिंह सुधा (मार्च 2013), स्त्री अस्मिता और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन नई दिल्ली
12. पंत कविता (मार्च 2013), महिलाओं और बच्चों के कल्याण की घोषणाएं, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन नई दिल्ली
13. श्रीवास्तव (डॉ.) मीनाक्षी (2012), कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति, हरि प्रकाशन दिल्ली
14. लता (डॉ.) मंजु (2009), अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस दिल्ली

15. सिंह हंसराज बिष्ट व कोठारी राकेश (मई 2013), महिला हिंसा के विरूद्ध बढ़ता जन आंदोलन, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013
16. राजकुमार (मई 2013), पुरूष प्रधान देश में नारी की दुर्गति, प्रतियोगिता दर्पण मई 2013
17. यादव चन्द्रभान (2013), महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्वयंसहायता समूह, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013
18. मोदी (डॉ.) के एम (2013), ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयंसहायता समूहो का योगदान, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013
19. कल्याण प्रतिभा (2012), समाज में महिलाओं का स्थान, प्रतियोगिता दर्पण जून 2012

प्रमुख पत्र–पत्रिकाएं :–

योजना पत्रिका

कुरूक्षेत्र पत्रिका

महिला बाल विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

इंडिया टुडे

उद्यामिता पत्रिका

जिला सांख्यिकीय विभाग, राजनांदगांव

क्षेत्रीय समाचार पत्र :–

दैनिक भास्कर

नवभारत

नई दुनिया

हरिभूमि

रोजगार और नियोजन

राजनांदगांव से प्रकाशित समाचार पत्र :—

सबेरा संकेत

छत्तीसगढ़ झलक

अमृत संदेश

छत्तीसगढ़ वॉच

शोधार्थी द्वारा एक शोध पत्र का प्रकाशन प्रस्तावित है, परिणाम अपेक्षित है।

शोधार्थी के हस्ताक्षर

निर्देशक के हस्ताक्षर

शोध सह—निर्देशक के हस्ताक्षर

प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

अग्रेसित

अध्यक्ष DRC

प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

S. No 1647 Book No

66

Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR-492010 (C. G.)

Ph.D. COURSE WORK CERTIFICATE

Ref. - Ph. D CW/Apr 2013 ROLL No. COMM 11

Certified that Ku /Smt·/Shri Ramesh Meshram

Father's/Husband's name

Mother's name

has completed the Course Work in the academic session 2012 - 13 in subject Commerce on Research Methodology, Quantitative Methods and Computer Applications. The candidate has also presented the review ot published research in the relevant field as per the provisions laid down in the Ordinance 45 of Pt. Ravishankar Shukla University Raipur.

On Successful Completion of the Course Work this certifcate of Qualifcaton is awarded to the Candidate on 22nd April 2013

In - Charge
Ph. D. Course work Exam
SoS in Institute of Management
(Seal)

Deputy Registrar (Acad.)
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C. G.) 492010